

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 00594 / 2023

अमर सिंह जाट

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, (पंचायती राज विभाग), सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव-1, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बानसूर, अलवर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनीत गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थागण की ओर से :

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बानसूर, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति बसेड़ी, धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता 200 कि.मी. दूर किया गया है तथा अपीलार्थी की माता 93 साल की है जो कि अस्थमा सहित अन्य कई बीमारियों से पीड़ित है और लगभग 10 साल से उनका इलाज चल रहा है अपीलार्थी के लगातार उनकी देखभाल कर रहा है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) तथा कार्यमुक्त आदेश दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बानसूर, अलवर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य

